

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम-सह-विशेष न्यायाधीश, सुपौल।

SC/ST- 65/2022

Tribeniganj P.S. Case No. 340/2022

12/02/2024

अभिलेख संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई वास्ते प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि है कि सूचक उपेन्द्र पासवान के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त 1. रजनीश यादव, 2. मंजु देवी, 3. श्रवण कुमार के विरुद्ध धारा 427, 504, 114, 341, 323, 354बी, 325, 379, 506/34 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(r)(s)(w)(i) SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्त्ता द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त मंजु देवी को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए नामजद अभियुक्त 1. रजनीश यादव, 2. श्रवण कुमार के विरुद्ध धारा 341, 323, 427, 354ए, 325, 504, 506/34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r)/3(2)(va) SC/ST एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र सं0 160/2023 दिनांक 08/05/2023 समर्पित किया गया है।

प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से आरोप पत्र की कंडिका 11 में वर्णित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही वास्ते पर्याप्त आधार है।

अतः आरोप पत्र की कंडिका 11 में वर्णित अभियुक्तगण 1. रजनीश यादव, 2. श्रवण कुमार के विरुद्ध धारा 341, 323, 427, 354ए, 325, 504, 506/34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r)/3(2)(va) SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है। वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय सभी अभियुक्तों के उपस्थिति हेतु समन्त निर्गत करें।

दिनांक 26.10.2024 उपस्थिति वास्ते।

Nishu Kant Thakur
12/2/24

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम-
सह-विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0),
सुपौल